राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

सुरेशचन्द बनाम विजयलक्ष्मी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 18/12/2025 को पेश हो |	
18/12/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो. संख्या 1 की एकपक्षीय बहस समायत कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 24/08/2021 पारित करते हुए अपीलार्थी को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश एक अन्तरिम आदेश है, जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षकारान को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है तथा अब अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा कीई अन्तिम बहस समायत किये जाने हेतु लम्बित है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन अन्तरिम आदेश दिनांक 24/08/2021 में कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24/08/2021 यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी अस्वीकार कर ख़ारिज की जाती है एवं न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश प्रदान किये जाते है कि वे व्यवहार प्रक्रियां संहिता के आदेश 39 नियम 03 की अनुपालना करते हुये 30 दिवस में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का बाद सुनवाई उभयपक्षकारान शीघ्रता से निस्तारण करे | पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो | निर्णय आज दिनांक 18/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |	